आदेश पत्रक(नियम 13)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस. नवलगढ़

भींवाराम आदि बनाम हरलाल आदि

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा — मु०नं० 94/2019

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना
23.09.2019	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रदीप कुमार एडवोकेट ने विरूद्व अनावेदकगण बाबत लेने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ़ की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 304 रकबा 4.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.86 हैक्टर को अनावेदक संख्या 2 व 3 विक्रय, दान, रहन आदि करके या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृस्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 304 रकबा 4.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.86 हैक्टर में अनावेदक संख्या 2 व 3 आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अनावेदकगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 24.10.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
24.10.20[19]	पत्रावली पेश हुई। आज पी.ओ. साहब अवकाश/राजकीय दौरे पर है। अतः पत्रावली पेश दिनांक 6-1-20 (हस्ताक्षर)	
6/1/20	पत्रावली मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर निर्धारित पेशी से आज पेश हुई। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है प्रकरण को ड्राप करने की कार्यवाही [illegible] प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। [illegible] अतः आवेदक के प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा बाद तकमील उत्तरा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 6-1-2020 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.14 12:09:17 IST
Reason: SelfAttested